संख्या-1/1639/53-2013-2(32)/13

प्रेषक,

राम बहादुर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
कानपुर।

दुग्ध विकास अनुभाग लखनऊ:दिनांक 03 जनवरी, 2014

विषय:-जनपद फरूखाबाद के कायमगंज में दुग्ध संकलित कराने की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में वित्तीय स्वीकृति (अनुदान सं0-16)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त के पत्रांक-197/दुग्ध-8/नियो./आय-व्ययक(144)/2013-14, दिनांक-20.08.13 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद फरूखाबाद के कायमगंज में दुग्ध संकलित कराने की व्यवस्था हेतु दिनांक-15.04.2013 को मां0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के सन्दर्भ में योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 40.00 लाख (रू0 चालिस लाख मात्र) कार्यशील पूंजी के मद में सम्बन्धित उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी कानपुर के निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि निम्न मदों में निम्नानुसार व्यय की जायेगी:-

क्र. सं.	**मद**	**मात्रा**	**दर**	**धनराशि (लाख रू0 में)**
1	समिति संगठन	31	0.50	15.50
2	समिति पुर्नगठन	23	0.10	2.30
3	बल्क मिल्क कूलर	01	20.00	20.00
4	बल्क मिल्क कूलर पर प्रतिदिन का व्यय	01	0.02 दिन	2.20
			रू0 चालिस लाख मात्र	**40.00**

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो सम्बन्धित दुग्ध संघ अपने संसाधन से उसका वहन करेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी दशा में किसी भी स्तर पर बैंक/पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दुग्ध आयुक्त/शासन को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ का होगा। यह शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बहीखाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे व बहीखाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक **'2404-डेरी विकास-आयोजनागत-191-नगर निगमों को सहायता-03-वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान (जिला योजना)-20-सहायक अनुदान सामान्य (गैर वेतन)'** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-ई-2-1182/2013, दिनांक-01.01.2014 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम बहादुर)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1336(1)/53-2013, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।

4- कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

5- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

6- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।

7- दुग्धशाला विकास अधिकारी, कानपुर।

8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।

9- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

10- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/राज्य योजना आयोग-3

11- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्या अधिकारी।

12- सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।

13- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

14- जिलाधिकारी, फरूखाबाद।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम लखन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in